CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2024 - 8.029

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

बलात्कार: महिला अस्मिता को चुनौती

डॉ.ज्योति सिडाना
सह-आचार्य, समाजशास्त्र विभाग
राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा

First draft received: 18.09.2024, Reviewed: 21.09.2024, Final proof received: 27.09.2024, Accepted: 28.09.2024

सार संक्षेप

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक कारक जैसे पितृसत्तात्मक मूल्य, लैंगिक भूमिकाएं और सामाजिक असमानता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बलात्कार को अक्सर पुरुषों द्वारा महिलाओं के खिलाफ एक शक्ति के दुरुपयोग के रूप में देखा जाता है जिसमें परम्परागत सांस्कृतिक धारणाएं, महिलाओं के विरुद्ध निर्मित पूर्वाग्रह, मीडिया में महिलाओं का प्रस्तुतिकरण और यौन हिंसा के प्रति दृष्टिकोण प्रभावित करते हैं। आर्थिक असमानता और महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता जैसे कारक भी हिंसा के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए हमारे देश में कानून और नीतियां बहुत हैं लेकिन अक्सर इन कानूनों का पालन नहीं किया जाता है। कभी आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग, कभी राजनीतिक रूप से शक्तिशाली समूह तो कभी कोई अन्य दबाव समूह अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करके ऐसे कानूनों की उपेक्षा करता नजर आता है। ऐसा हमेशा से प्रचार किया जाता रहा है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में जागरूकता और शिक्षा बढ़ाने से इस समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन आजादी के 78 वर्षों के बाद भी इस कथन को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है।

मुख्य शब्द : कमला भसीन, पेरियार ई.वी. रामासामी, **सीमेन द बुआ, महिला अस्मिता, महिला सशक्तीकरण** |

प्रस्तावना:

लैंगिक भेदभाव केवल भारत की ही समस्या नहीं है यह तो एक वैश्विक समस्या है। इस बात से इंकार नहीं किया

जा सकता जो अधिकार लड़कों को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं वे अधिकार लड़कियों को अधिकांशतः बहुत संघर्ष के बाद ही मिल पाए हैं जैसे मताधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजी स्पेस से परे सार्वजानिक स्पेस में प्रवेश करने का अधिकार, आत्मनिर्भर बनने का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार, विवाह करने या न करने का अधिकार, राजनीति में सहभागिता करने और चुनाव लड़ने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार यहाँ तक कि स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार इत्यादि। लेकिन इन सबके बावजूद भी उसे अभी तक अपने अस्तित्व और अस्मिता की सुरक्षा का अधिकार नहीं मिल पाया है। आए दिन सडको, ट्रेनों, बसों, घरों, खेतों, दफ्तरों में लड़कियां वो सब झेलने को मजबूर होती हैं जो संवैधानिक दृष्टि से भले ही अनैतिक और गैर-कानूनी है लेकिन फिर भी समाज में खुले आम प्रतिदिन होता है मानों उन्हें सामाजिक वैधता प्राप्त हो। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अश्लील फब्तियां, छेड़छाड़, शरीरांगों को गलत तरीके से छूना, दुर्व्यवहार, शारीरिक व मानसिक हिंसा, बलात्कार, अपहरण ऐसे अनेक दुर्व्यवहार लड़कियां प्रतिदिन झेलती हैं। राज्य इन दुर्व्यवहारों के विरुद्ध कानून बना कर या बने हुए कानूनों में संशोधन व परिवर्तन करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड लेते हैं, समितियां गठित कर दी जाती हैं, जाँच बैठा दी जाती है, नतीजों का कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ। मीडिया भी कुछ

दिन इन ख़बरों पर अपनी रोटियां सेंकता है फिर उसे कुछ नया मिल जाता है और ऐसी खबरे कहीं दफ़न हो जाती हैं और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा व दुर्व्यवहार का यह खेल बदस्तूर जारी रहता है।

बाजार के इस खेल में हर कोई अपने लाभ को देख रहा है, किसको चिंता है कि आधी आबादी के साथ क्या हो रहा है। महिला को अनेक वर्गों में बाँट कर देखा जाता है जैसे जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, प्रोफेशन इत्यादि । हाल ही में कलकत्ता के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में चूँकि पीडिता डॉक्टर थी इसलिए डॉक्टर वर्ग विरोध में उतरा और हड़ताल की । दलित महिला के साथ कुछ हुआ तो दलित वर्ग ने प्रदर्शन किया। किसी छात्रा के साथ हिंसा व दुर्व्यवहार हुआ तो छात्र वर्ग और शिक्षक के साथ हुआ तो शिक्षा जगत सड़कों पर आया। महिलाओं की समस्याओं को एक साथ जोड़कर कभी देखा ही नहीं गया अगर ऐसा किया होता तो शायद इसका कोई सकारात्मक हल निकल आया होता। क्या यह वास्तव में इतनी बड़ी समस्या है कि इसका कोई भी समाधान किसी भी राष्ट्र-राज्य के पास नहीं है। आश्चर्य होता है विकास का ढोल पीटने वाले अपनी बहन-बेटियों को सुरक्षा तक नहीं दे सकते। जिस देश की आधी आबादी खतरे में हो उससे राम राज्य और कल्याणकारी समाज की स्थापना करना कोरी कल्पना है। सिर्फ नारों और विज्ञापनों से समाज की सोच नहीं बदल सकती इसके लिए नए सिरे से पुरुषसत्तात्मक समाज का समाजीकरण करने की आवश्यकता है। क्या वास्तव में इस दिशा में कोई भी पहल समाज के ठेकेदार करने को तैयार हैं, लगता तो नहीं है।

कुछ समय पूर्व की घटना को याद कीजिये जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आईआईटी कैंपस में एक छात्रा के साथ कुछ बदमाशों ने बदसलूकी की और उसे निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया। उसी तरह की घटनाएँ चंडीगढ़ और दिल्ली विश्वियालय में होना सामने आया था। मेडिकल कॉलेजों में भी अनेक ऐसी घटनाएँ सामने आती रही हैं पर हर बार की तरह इन पीड़िताओं को निर्भया, अभया जैसा नाम देकर कैंडिल मार्च करके दोषियों को सजा देने की मांग करके मामला ठंडा हो जाता है। स्त्रीवादी लेखिका कमला भसीन लिखती हैं कि पितृसत्ता के खिलाफ आवाज ना उठाने वालों को इससे मिलने वाले फायदे इतने पसंद आते हैं कि वह इसकी बुराई देखते ही नहीं हैं। इसलिए स्पष्ट है कि जब तक किसी को इन घटनाओं में बुराई दिखाई ही नहीं देगी तो वे इनको रोकने के प्रयास कैसे करेंगे। एक व्याख्यान की दौरान कमला भसीन कहती हैं कि पितृसत्ता बाइनरी यानी द्विविचार में विश्वास करती है। पितृसत्तात्मक समाज में इंसान के मन और गुण के बजाय शरीर के बनावट और सुंदरता को ही अधिक अहमियत दी जाती है। जिस प्रकार हम विभिन्न सौन्दर्य उत्पादों, कपड़ों और आधुनिक फैशन से लैस रहने की इच्छा जताते हैं, समझ आता है कि किस हद तक शारीरिक बनावट हमारी सोच पर हावी है। किसी की सुंदरता की नींव केवल शारीरिक बनावट पर गढ़ना, पितृसत्ता की देन है। जिस वर्ग से सम्बन्धित महिला के साथ कोई घटना घटती है केवल वही लोग कुछ दिन चिल्लाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मीडिया में खबर प्रकाशित होती है और फिर एक लंबी ख़ामोशी पसर जाती है। कुछ समय बाद फिर कोई नई घटना चर्चा में आती है और इसी तरह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और दुर्व्यवहार का क्रम निरंतर जारी है।

समाज सुधारक पेरियार ई.वी. रामासामी तर्क देते हुए कहते हैं कि पुरुषसत्ता और पूंजीवाद दोनों के विनाश के बिना किसी आधुनिक समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। पुरुषों द्वारा महिलाओं को गुलाम समझने की प्रवृत्ति पर वे लिखते हैं कि पुरुष के लिए एक महिला उसकी रसोइया, उसके घर की नौकरानी, उसके परिवार या वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन का साधन है और उसके सौन्दर्यबोध को संतुष्ट करने के लिए एक सुन्दर ढंग से सजी गुड़िया है। उनका यह तर्क आज भी सत्य सिद्ध होता है क्योंकि जब भी समाज में महिलाओं के विरुद्ध दुर्व्यवहार या हिंसा की कोई घटना चर्चा में आती है तो अधिकांश नेता और अभिनेता यह कहते सुने जाते हैं कि महिलाओं का कार्यबल में शामिल होना और पुरुषों के समान पद मांगना ही सबसे बड़ी समस्या है। 21वीं सदी में हुए व्यापक बदलावों के बावजूद भी पुरुषवादी सोच रखने वाले लोग स्त्रियों को उनकी कमजोर बुद्धि और कमजोर शरीर का बहाना बना कर कई अधिकारों से वंचित करते नजर आते हैं।

एक महिला से हमेशा से ही यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बने उसके बाद कुछ अपने लिए सोचे। यह सारी अपेक्षाए पुरुषों से क्यों नहीं की जाती। महिलाओं ने हमेशा से यह सिद्ध किया है कि वे वह सब कुछ कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। लेकिन क्या पुरुष यह कह सकते हैं कि हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो महिलाएं कर सकती हैं। अगर नहीं कह सकते तो फिर खुद को श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली और महिलाओं को अधीनस्थ व कमजोर कहने की मानसिकता को बदल लेना चाहिए। पुरुष समाज को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रकृति ने महिला और पुरुष के बीच भेद अवश्य किया है लेकिन भेदभाव नहीं किया और जब बनाने वाले ने भेदभाव नहीं किया तो इंसान को किसने यह हक़ दिया कि वे इस अन्तर को स्थापित करें। जब तक यह मानसिकता नहीं

बदलेगी तब तक बराबरी के समाज की कल्पना करना या महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने जैसे कदम सफल नहीं हो सकते।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए हमें एक साथ आना होगा और अपनी आवाज उठानी होगी। जब तक महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को मानवाधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाएगा तब तक किसी सकारात्मक पहल की उम्मीद करना बेमानी है । क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक व्यवस्था जनित समस्या है जिसे समझने और हल करने के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। और यह भी सच है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा क्योंकि कोई और उनके लिए नहीं लड़ेगा ।

पंडित जवाहर लाल नेहरु ने कहा था कि किसी भी देश की स्थिति उस देश की महिलाओं की स्थिति को देखकर ज्ञात की जा सकती है। यदि इस तर्क को सही माना जाए तो फिर कैसे हम दावा कर सकते हैं कि हम देश की चौथी सबसे बडी अर्थव्यवस्था हैं। जिस देश की आधी आबादी प्रतिदिन बलात्कार, हिंसा, यौन शोषण, तेजाब हमला, दहेज़ हत्या जैसी घटनाओं का दंश झेलती हो उस देश की स्थिति क्या होगी यह बताने की जरुरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाने या महिला सशक्तीकरण का उद्घोष करने से ही अगर महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाया जा सकता तो अब तक आ चुका होता। एक लेखिका ने लिखा भी है दरअसल सवाल यहाँ महिला सशक्तीकरण का है ही नहीं, उन्हें मजबूत या सशक्त बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे तो पहले से ही मजबूत हैं। जरुरत है दुनिया द्वारा महिलाओं की ताकत को देखने के नजरिए को बदलने की। सच ही तो है अगर पुरुष समाज महिलाओं को देखने का नजरिया बदल ले तो समस्या ही समाप्त हो जाएगी। एक इंसान (पुरुष) को दूसरे इंसान (महिला) के जीवन को निर्धारित करने या निर्देशित करने का अधिकार किसने दिया। ना तो ऐसा किसी भी देश के संविधान में लिखा है और ना ही किन्ही धार्मिक पुस्तकों में वर्णित है। प्रसिद्ध लेखिका सीमेन द बुआ ने सही ही लिखा था कि महिला जन्म नहीं लेती अपितु बनायी जाती हैं। समाज की एक श्रेणी ने यह तय कर दिया कि महिला को क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसका उठाना, बैठना, चलना, हँसना-रोना, पहनना यहाँ तक कि उसकी सम्पूर्ण जीवन शैली पुरुष ही तय करता आया है। इसलिए यह भी पुरुष समाज ही तय करता है कि महिला के साथ हुए दुष्कर्म के लिए महिला ही दोषी है जैसे उसके कपडे, उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति, उसका सार्वजानिक स्पेस में बराबरी करना इत्यादि।

यहाँ एक बात से पुरुष समाज से सहमत हुआ जा सकता है कि महिला ही दोषी है दरअसल महिला का खुद को महिला स्वीकारना ही उसका दोष है। जब तक वह स्वयं खुद को इंसान का दर्जा नहीं देंगी तब तक उन्हें कमजोर, अबला, भोग्या, और सजावटी वस्तु के रूप में स्वीकार जाता रहेगा। अगर महिलाएं चाहती हैं कि वास्तव में उनकी स्वतंत्र पहचान हो, उनके प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित हो और समाज में बराबरी का दर्जा मिले तो उन्हें यह समझना होगा कि उनके पास वह सब कुछ है जिसकी उन्हें ज़रूरत है मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक शक्ति। यह तो पुरुषसत्तात्मक समाज है जो उन्हें यकीन दिलाता आया है कि महिला कमजोर है, गैर-तार्किक है और निर्णय लेने में असमर्थ है। 21वीं सदी में जबकि इंसान तकनीकी मानव (रोबोट) को इंसान के रूप में स्वीकारने लगा है अफ़सोस महिला को इंसान के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा है। आज भी लगभग हर पुरुष स्वयं को श्रेष्ठ और बहन, बेटी, माँ, पत्नी को अपने से निम्न और कमजोर मानता है। यही कारण है कि पुरुष वर्ग अपनी निराशा, असफलता, कुंठा, तनाव, क्रोध सब कुछ महिला पर निकालता है कभी उसके साथ हिंसा करके, कभी उसका शारीरिक शोषण व जबरदस्ती करके, कभी उसकी हत्या करके और तो और कभी उसके चरित्र पर ऊँगली उठाकर। और वे यह मानकर चलते हैं कि ऐसा करना उनका नैतिक कर्तव्य है क्योंकि समाज-धर्म और संस्कृति उनके इस व्यवहार को वैधता प्रदान करती है। अभी कोलकाता और बलिया जिले में लड़कियों से बलात्कार करने और हत्या करने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में 3 और 4 साल की दो मासूम बच्चियों के यौन शोषण और पालघर जिले में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। बलिया के एक और गाँव में सगे एक चाचा ने घर में सो रही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चे की बेहरमी से हत्या कर दी। इसके बाद दोनों की तस्वीर एक वॉट्सएप ग्रुप में शेयर की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पत्नी के ज्यादा पैसे खर्च करने से परेशान पति ने अपने ही दोस्तों को ढाई लाख रुपये सुपारी देकर पत्नी की हत्या करवा दी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में नौ साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक द्वारा कथित तौर पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। राजस्थान के नागौर में पत्नी अपनी बहन के घर जाने लगी तो इससे नाराज होकर पति बीच सड़क पत्नी को मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर घसीटते हुए घर ले आया। यह वो चंद घटनाएँ हैं जो इसी माह में यानी हाल के ही कुछ दिनों में घटित हुई हैं सालों और दशकों में कितनी घटनाएँ हुई होंगी अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन इतना अंदाजा

तो लगया ही जा सकता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक कल्याणकारी राष्ट्र में अगर ऐसी घटनाए सामान्य बात है तो फिर विश्व के अनेक गैर-लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं की क्या स्थिति होगी ? सोचने का विषय है।

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,45,256 केस दर्ज हैं। हर एक घंटे 51 एफआईआर दर्ज की जाती हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 4,28,278 और 2020 में 3,71,503 से अधिक मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी की वार्षिक अपराध रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रति लाख आबादी पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 66.4 थी, जबकि ऐसे मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने की दर 75.8 थी। और यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारतीय दंड संहिता के तहत महिलाओं के खिलाफ ज्यादातर अपराध पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (31.4 प्रतिशत) के थे, फिर महिलाओं का अपहरण (19.2 प्रतिशत), महिलाओं पर उनकी नम्रता को भंग करने के इरादे से हमला (18.7 प्रतिशत) और दुष्कर्म (7.1 प्रतिशत) के मामले शामिल हैं। आश्चर्यजनक है कि आधी आबादी का यह सच किसी के लिए भी मायने क्यों नहीं रखता और तो और खुद महिलाओं के लिए भी क्या इन आंकड़ों ने कोई हलचल उत्पन्न की संभवतः नहीं। कितना दोगला समाज है यहाँ लोगों को भावनाएं और प्यार तो चाहिए लेकिन अपनी शर्तों पर।

सारांश

अब जरुरत है समाज में एक बड़े बदलाव की। ऐसा कोई काम या ज्ञान नहीं है जो महिलाएं सीख नहीं सकती जो आप नहीं जानती उससे घबराएँ नहीं। बल्कि उसे सीखने का प्रयास करें हाँ आपका काम करने का तरीका अलग हो सकता है जो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना सींखे, खुद को सम्मान दे और अपने द्वारा किये गए कामों का श्रेय खुद लेना सीखे, अपने स्वास्थ्य को भी उतना महत्त्व दे जितना परिवार के बाकी सदस्यों को देती हैं। अपने फैसले खुद लेने का प्रयास करे और अपमान या शोषण होने पर परिणाम की चिंता किये बिना निडर होकर आवाज उठाएँ। शर्म औरत का गहना है, बेटी परिवार की इज्जत है, लड़कियों का अपना कोई घर नहीं होता इन दकियानूसी बातों से बाहर निकल कर खुद के अस्तित्व के खड़ा होना होगा तभी बहन, बेटी, और पत्नी खुद की सुरक्षा की जमीन तैयार कर पाएंगी। सच ही लिखा है किसी ने.....अब तराशने दो मुझे खुद को अपने तरीके से, तुम्हारे तौर तरीकों ने तो मुझे चूर-चूर ही किया है।

सन्दर्भ

सीमेन द बुआ (1949), द सेकंड सेक्स, विंटेज बुक्स: लंदन.

कमला भसीन (1993), व्हाट इस पेट्रीआर्की, काली फॉर वीमेन: नई दिल्ली.

पेरियार ई. वी. रामासामी (2017), व्हाई वर वुमन अनसलेवड, क्रिटिकल क्वेस्ट: नई दिल्ली.

निवेदिता मेनन (2021) नारीवादी की निगाह से (अनुवाद: नरेश गोस्वामी), राजकमल प्रकाशन: दिल्ली.

सुजाता (2021) आलोचना का स्त्री पक्ष, राजकमल प्रकाशन: दिल्ली

अमृता प्रीतम (2020) औरत, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया.

वासंती (2005) बर्थ राइट, (अनुवाद :वसंत सूर्य), जुबान प्रकाशन, नई दिल्ली.

सोनाली वर्मा (2024, 3 अप्रैल) एनसीआरबी रिपोर्ट https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-records-51-cases-of-crime-against-women-every-hour-over-4-4-lakh-cases-in-2022-ncrb-report/articleshow/105731269.cms

दैनिक भास्कर (2024, 20 अगस्त) https://www.bhaskar.com/national/news/2-girls-sexually-abused-in-thane-stones-pelted-on-police-133511117.html